GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

LABOUR WELFARE BOARD/श्रम कल्याण बोर्ड

दूरभाष : 91 (0172) 2560226 E-mail : hlwb51hry@gmail.com

उत्पादकता एंव सामाजिक न्याय
Productivity with Social Justice
LABOUR WELFARE BOARD, HARYANA
श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा
शान्ति, सामंजस्य एंव सुरक्षा
Peace, Harmony and Safety

श्रमिक की अंडरटेकिंग

''मै घोषणा करता हूं /करती हूं कि आवेदन–पत्र में दर्शाए गए तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ठीक हैं तथा इसमें कुछ भी छुपाया नही गया है । बहकाने या छुपाने के किसी भी स्थिति के मामले में मेरे विरूद्ध जैसा भी मामला हो अपराधी के तौर पर भारतीय दंड सहिता की धारा 182, धारा 415, सह धारा 417 तथा धारा 420 के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है''। बोर्ड की योजना के अन्तर्गत यदि किसी कारणवश देय से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो मैं श्रम कल्याण बोर्ड को अधिकार देता हूं कि वह मेरी संस्था के माध्यम से अधिक जारी की गई राशि मेरे वेतन से कटौती करके अपनी भरपाई कर लेवें ।

(आवेदक श्रमिक /आश्रित के हस्ताक्षर)

संस्था की ओर से आवेदन–पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी.....(श्रमिक/श्रमिका का नाम)सपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्री .....इस संस्था में दिनांक.....से .....के पद पर कार्यरत है तथा श्रमिक का मासिक वेतन (सभी भत्तों सहित).....रू0 है व श्रमिक द्वारा आवेदन–पत्र में दी गई सूचना पूर्णतया सत्य है एवं बोर्ड़ की योजना की शर्तों अनुसार कवर होता है । श्रमिक की ज्वाईनिंग तिथि से संबंधित नियोक्ता के अंशदान समेत ————————रू0 अंशदान की राशि बोर्ड में जमा करवा दी गई है । श्रमिक द्वारा उक्त लाभ के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया गया है । यदि किसी कारणवश श्रमिक को योजना के तहत देय राशि से अधिक राशि जारी हो जाती है तो अतिरिक्त अधिक राशि की रिकवरी श्रमिक के वेतन से करके श्रम कल्याण बोर्ड को बैंक ड्राफट के माध्यम से भेज दी जाएगी ।

(संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित)

श्रम निरीक्षक/श्रम निरीक्षक (कल्याण) की जांच रिपोर्ट

उक्त आवेदन–पत्र इस कार्यालय में दिनांक .....को डायरी नं0 .....के अंतर्गत प्राप्त किया गया है। आवेदन–पत्र में श्रमिक द्वारा व संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरण संस्था रिकार्ड से मेरे द्वारा निजी तौर पर संस्था में दिनांक .....को जांचा गया तथा जांच उपरांत आवेदन–पत्र में वर्णित सभी तथ्य ठीक पाए गए। अतः अनुदान देने की सिफारिश की जाती है। इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार उक्त योजना के वर्णित लाभ हेतू श्रमिक द्वारा केवल एक ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका इन्द्राज इस कार्यालय के डायरी रजिस्टर में कर लिया गया है और संस्था ने श्रमिक का देय तिथि तक का पूर्ण अंशदान रू0 .....श्रम कल्याण बोर्ड में भेजा हुआ है तथा उपरोक्त वर्णित केस योजना की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता है । यदि किसी स्तर पर जांच में मेरे द्वारा उक्त तस्दीक तथ्य गलत पाए गए तो उससे बोर्ड को हुई वित्तीय हानि की मेरी पूर्ण जिम्मेवारी होगी ।

श्रम निरीक्षक/श्रम निरीक्षक (कल्याण) श्रम तथा समझौता अधिकारी
/कल्याण अधिकारी (महिला के हस्ताक्षर नाम व मोहर सहित